उपायुक्त का कार्यालय, गुमला ।
(पंचायत शाखा)

<u>कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संख्या 01 /2017–18</u>

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, (पंचायती राज) झारखण्ड राँची के पत्र संख्या–1453/पं0 दिनांक 03.05.2016 के द्वारा इस जिले में 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के लिए 24 (दो प्रति प्रखण्ड की दर से) कनीय अभियंता एवं 53 (प्रत्येक तीन पंचायत पर एक) लेखा लिपिक–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजन किया गया है, जिसमें से 21 कनीय अभियंता एवं 38 लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाना है । किन्तु प्रतीक्षा सूची में कनीय अभियंता – अ0जा0 के एक पद एवं लेखा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर –अ0ज0जा0 के 11 पदों के विरूद्ध योग्य उम्मीदवार नहीं है । अतः इन पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर के अनुसार निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य अहर्त्ताधारी से आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

1. कनीय अभियंता –अनुसूचित जाति – 01 पद
2. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर –अनुसूचित जन जाति – 11 पद

<u>कनीय अभियंता पद के लिए योग्यताः–</u>

1. **शैक्षणिक योग्यताः–** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत निर्धारित किये जाते है ।
2. **वांछनीय योग्यता एवं अनुभव** :– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता, अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी । उक्त पदो के लिए गुमला जिला का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है ।
3. उम्र सीमाः– कनीय अभियंता के लिए उम्र अधिकतम 40 वर्ष होगी ।
4. शुल्क :– 300.00 (तीन सौ) रूपये मात्र

<u>लेखा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिये योग्यताः–</u>

1. **<u>शैक्षणिक योग्यताः–</u>** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0.ए0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी ।
2. **<u>वांछनीय योग्यता एवं अनुभव</u>** :–संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता, अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी । उक्त पदो के लिए गुमला जिला का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है ।
3. **<u>उम्र सीमाः–</u>** अ0ज0जा0 के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष होगी ।
4. **<u>शुल्क</u>** :– 300.00 (तीन सौ) रूपये मात्र।

विभागीय अधिसूचना संख्या– 80 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा उपरोक्त पदो के लिए नियुक्ति की प्रकिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त्त निर्धारित की गई है, जो इस जिले के वेबसाईट <u>WWW.gumla.nic.in</u> पर देखा जा सकता है ।

2/5/18

उक्त अधिसूचना में आवेदन समर्पित करने की विहित प्रकिया के तहत सुयोग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 30.05.2018 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जायेगा, जो उपायुक्त गुमला के पदनाम से गुमला में भुगतेय होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । इस कार्यालय का ई– मेल पता dprogumla11@ gmail.com है ।

ह0 –

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गुमला ।

ज्ञापांक 171 /ग्रा0पं0 दिनांक 21.05.2018

प्रतिलिपिः– वेब मैनेजर गुमला को विभागीय अधिसूचना संख्या –80 दिनांक 28.04.2016 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

21/5/18

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गुमला ।